न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

PBR/अपील/झाबुआ/आब/2017/2882

अपील प्रकरण क्रमांक /2017 जिला–झाबुआ

मेसर्स ग्रेट गेलियन बेन्चर्स लिमिटेड, सेजवाया, जिला–धार (म.प्र.)

...... अपीलार्थी

विरूद्ध

(1) आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर

(2) उपायुक्त आबकारी संभागीय उड़नदस्ता, इन्दौर

(3) जिला आबकारी अधिकारी जिला झाबुआ

(4) जिला आबकारी अधिकारी मैसर्स ग्रेट गेलियन बेन्चर्स लिमिटेड सेजवाया जिला – धार (म.प्र.)

...... प्रत्यर्थीगण

न्यायालय/कार्यालय आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर द्वारा पृष्ठांकन क्रमांक 5(1)/2017–18/3655 में पारित आदेश दिनांक 14.07.2017 के विरूद्ध मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम सन् 1915 की धारा 62(2)–सी के अधीन अपील।

माननीय महोदय,

अपीलार्थी की ओर से निम्नांकित निवेदन है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1– यहकि, अपीलार्थी कम्पनीज एक्ट 1956 के तहत् पंजीबद्ध होकर शराब व्यवसायरत एक कम्पनी है।

2– यहकि, उपायुक्त आबाकारी संभागीय उडनदस्ता इन्दौर के पत्र क्रमांक आब/टेका/2015/2328 दिनांक 09.10.2015 प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार जिला झाबुआ के स्टोरेज मद्यभाण्डागार झाबुआ एवं पटेलावाद पर अवधि माह अप्रेल 2012 से मार्च 2013 तक कॉच की बोतलो में एक दिवस के औसत प्रदाय का 25 प्रतिशत संग्रह कॉच की बोतलो में नहीं रखा गया है। उपेरोक्त अनियमितता पर कार्यालयीन पत्र क्रमांक 5(1)/2015–16/5438 दिनांक 28.12.2015 से संविदाकार मैसर्स ग्रेट गेलियन बेन्चर्स लिमिटेड (पूर्व नाम ग्रेट गेलियन लिमिटेड) सेजवाया धार को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

3– यहकि, अपीलार्थी कम्पनी द्वारा उक्त कारण बताओ सूचना पत्र का विधिवत्

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/अपील/झाबुआ/आ0अ0/2017/2882

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11-9-2018	अपीलार्थी कम्पनी द्वारा यह अपील मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 (जिसे संक्षेप में अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 62 (2)-सी के अंतर्गत आबकारी आयुक्त, म.प्र. ग्वालियर द्वारा पृष्ठांकन क्रमांक 5(1)2017-18/3655 में पारित आदेश दिनांक 14-7-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी कम्पनी को वर्ष 2012-13 के लिए उसे स्वीकृत प्रदाय क्षेत्र झाबुआ के मद्यभाण्डागारों में एक दिन के औसत प्रदाय का 25 प्रतिशत संग्रह कांच की बोतलों में रखने के निर्देश दिये गये थे । उपायुक्त आबकारी संभागीय उडनदस्ता इंदौर के प्रतिवेदन के अनुसार अपीलार्थी कम्पनी द्वारा उसे प्रदाय क्षेत्र के स्टोरेज मद्यभाण्डागारों पर अवधि माह अप्रैल, 2012 से मार्च 2013 तक कुल 380 दिवसों में एक दिवस के औसत प्रदाय का 25 प्रतिशत संग्रह कांच की बोतलों में नहीं रखे जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी कम्पनी को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया । अपीलार्थी का उत्तर समाधानकारक नहीं होने से अधीनस्थ न्यायालय ने पृष्ठांकन क्रमांक 5(1)2017-18/3655 में दिनांक 14-7-2017 को आदेश पारित कर अपीलार्थी कम्पनी द्वारा म.प्र. देशी स्प्रिट नियम, 1995 के नियम 4(4) व सी.एस.1 का उल्लंघन किये जाने से नियम 12(1) के अंतर्गत दण्डनीय होने के कारण अपीलार्थी कम्पनी पर रूपये 20,000/- शास्ति अधिरोपित करने के साथ ही देशी मदिरा स्टोरेज मद्यभाण्डागारों पर उक्त अवधि माह अप्रैल, 2012 से मार्च 2013 तक कुल 380 दिवसों में एक दिन के औसत प्रदाय का 25 प्रतिशत बोतलबंद देशी मदिरा संग्रह कांच की बोतलों में नहीं रखे जाने के कारण रूपये 250/- प्रतिदिन के मान से रूपये 95,000/- इस प्रकार कुल रूपये 1,15,000/- की शास्ति अधिरोपित की गई । आबकारी आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । 3/ अपीलार्थी कम्पनी के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी कम्पनी को सूचना, सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर दिये बिना ही आलोच्य आदेश पारित किया गया है, जो कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है । यह भी कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी कम्पनी की ओर से प्रस्तुत कारण बताओ सूचना पत्र का उत्तर समाधानकारक नहीं मानने में भूल की गई है, क्योंकि अपीलार्थी द्वारा निरंतर आवश्यकता एवं मांग अनुसार प्रदाय किया गया है, जिससे व्यवस्था सकुशल रही । तर्क में यह भी कहा गया कि अपीलार्थी कम्पनी द्वारा म.प्र. देशी स्प्रिट नियम, 1995 के नियम 4(4) व लायसेंस की शर्त का उल्लंघन नहीं किया गया है । ऐसी स्थिति में नियम 12(1) के प्रावधान लागू नहीं होते	

हैं । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि कि राज्य शासन को क्या हानि हुई, इसे सिद्ध करने का प्रमाण भार राज्य शासन पर था, जो कि उनके द्वारा सिद्ध नहीं किया गया है । अतः प्रमाण भार के अभाव में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैधानिक होकर निरस्त किये जाने योग्य है । अंत में तर्क प्रस्तुत अपीलार्थी कम्पनी द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र का जो जवाब प्रस्तुत किया गया था, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई विचार नहीं करने में भूल की गई है । अतः अधीनस्थ न्यायालय का आदेश नितान्त अवैध, अनुचित एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

4/ प्रत्यर्थी पक्ष शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपीलार्थी कम्पनी द्वारा उसे प्रदाय क्षेत्र के मद्यभाण्डागारों में एक दिन के औसत प्रदाय का न्यूनतम संग्रह नहीं रखा गया है, जो कि नियम एवं लायसेंस की शर्त का स्पष्टतः उल्लंघन है । अतः अपीलार्थी कम्पनी के उक्त कृत्य के लिए शास्ति अधिरोपित करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है । उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश यथावत रखने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी कम्पनी को वर्ष 2012-13 के लिए उसे स्वीकृत प्रदाय क्षेत्र के मद्यभाण्डागारों में एक दिन के औसत प्रदाय का 25 प्रतिशत संग्रह कांच की बोतलों में रखने के निर्देश दिये गये थे, किन्तु अपीलार्थी कम्पनी द्वारा उसे प्रदाय क्षेत्र के स्टोरेज मद्यभाण्डागारों पर अवधि माह अप्रैल, 2012 से मार्च 2013 कुल 380 दिवसों में एक दिवस के प्रदाय का 25 प्रतिशत संग्रह कांच की बोतलों में नहीं रखा गया है । अतः अपीलार्थी कम्पनी का उक्त कृत्य देशी स्प्रिट नियम एवं लायसेंस की शर्त का स्पष्टतः उल्लंघन है । उपरोक्त स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक नहीं होने पर अपीलार्थी कम्पनी पर जो शास्ति अधिरोपित की गई है, वह उचित है । अतः इस संबंध में अपीलार्थी कम्पनी द्वारा प्रस्तुत तर्क मान्य किये जाने योग्य नहीं है । दर्शित परिस्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14-7-2017 वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश मोतीमहल ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 14-7-2017 स्थिर रखा जाता है । अपील निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)

अध्यक्ष